# कार्यालय नगर विकास न्यास, सीकर

सर्किट हाउस के पास, जयपुर रोड़, सीकर–332001

ई–मेल uit.sikar@rajasthan.gov.in, फोन नं. 01572–245057

क्रमांकः– नविन्यास/नियमन/2025/1017 दिनांकः– 31.07.2025

**प्रेषिती:–**

**1. अशोक कुमार पुत्र सीताराम ओला जाति जाट**
**निवासी वार्ड नं. 38 टैगोर स्कूल के पास**
**राधाकिशनपुरा तह. व जिला सीकर।**

विषयः– राजस्व ग्राम राधाकिशनपुरा तह. सीकर के खसरा नम्बर 2675/1935 रकबा 7928.00 वर्गमीटर भूमि पर अशोक विहार आवासीय योजना के अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम राधाकिशनपुरा तह. सीकर के खसरा नम्बर 2675/1935 रकबा 7928.00 वर्गमीटर भूमि पर अशोक विहार आवासीय योजना को टाउनशिप पॉलिसी 2010 की पालना सुनिश्चित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन विकसित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय/बेचान किया जावे।
2. योजना संलग्न अनुमोदित मानचित्रानुसार ही विज्ञ तकनिकीविद की देख–रेख में विकसित की जावेगी। सर्वप्रथम अनुमोदित प्लान अनुसार सम्पूर्ण योजना के चारों और सुरक्षा दिवार बनायी जाकर न्यास को सूचित करना होगा।
3. समस्त विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही किये जाने होगें तथा नियमों की कठोरता से पालना की जानी आवश्यक है।
4. अनुमोदित योजना में सीसी सड़क निर्माण कार्य के लिए न्यास द्वारा जारी आदेश क्रमांक नविन्यास/विकास/2024–25/232 दिनांक 15.01.2025 में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कार्य किया जाने की सुनिश्चितता करनी होगी।
5. वाटर ड्रेनेज, ओवर हैड टैंक एवं सीवरेज लाईन हेतु राशि न्यास कोष में जमा करवाई गई है।
6. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के अनुसार 2.00 है. तक की योजनाओं के लिए 18 माह की अवधि आन्तरिक विकास कार्यों के लिए निर्धारित है।
7. योजना का अनुमोदित मानचित्र योजनास्थल पर बड़े पटल पर प्रदर्शित करना होगा।
8. भू–खण्डों का सीमांकन किया जाकर भू–खण्ड संख्या अंकित किया जाना होगा।
9. योजना में वृक्षारोपण भवन विनियम 2020 के अनुसार ही किया जाना होगा।
10. आन्तरिक विकास कार्यों के एवज में 12.50 प्रतिशत (भूखण्ड संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06 व 07 कुल भू–खण्ड–07) भू–खण्डों का न्यास के पक्ष में रहननामा सम्पादित किया गया है एवं इस आशय का एक बोर्ड भी योजना में चस्पा किया जाना आवश्यक है।
11. विकासकर्ता को सम्पूर्ण कार्य होने के उपरान्त 3 वर्ष तक Maintenance किया जाना आवश्यक होगा। (Maintenance charges may be recovered by developer from the allotees).
12. बोरिंग/ट्यूबवेल/पाईपलाईन को नियमानुसार पी.एच.ई.डी. को हस्तान्तरण (Hand over) किया जाना होगा।
13. योजना में विद्युतिकरण का कार्य स्टेट इलेक्ट्रीसिटी रूल्स के निर्धारित मापदण्डानुसार किया जाकर ए.वि.वि.एन.एल. को हस्तान्तरण किया जाना होगा।

संलग्नः– अनुमोदित योजना मानचित्र।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
सचिव,
नगर विकास न्यास, सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Designation : Secretary
Date: 2025.07.31 17:53:32 IST
Reason: Approved

# ASHOK VIHAR RESIDENTIAL SCHEME

**LAYOUT PLAN OF KHASRA NO.- 2675/1935, BEHIND PREMALAY VRIDHAASHARAM , CHAINPURA ROAD, RADHAKISHANPURA,SIKAR**
**REVENUE VILL.- RADHAKISHANPURA, TEH. & DIST.- SIKAR(RAJ.)**
**FOR-90-A & RESIDENTIAL CONVERSION**
**APPLICANT:- ASHOK KUMAR OLA S/O SITA RAM OLA**

नगर विकास न्यास सीकर

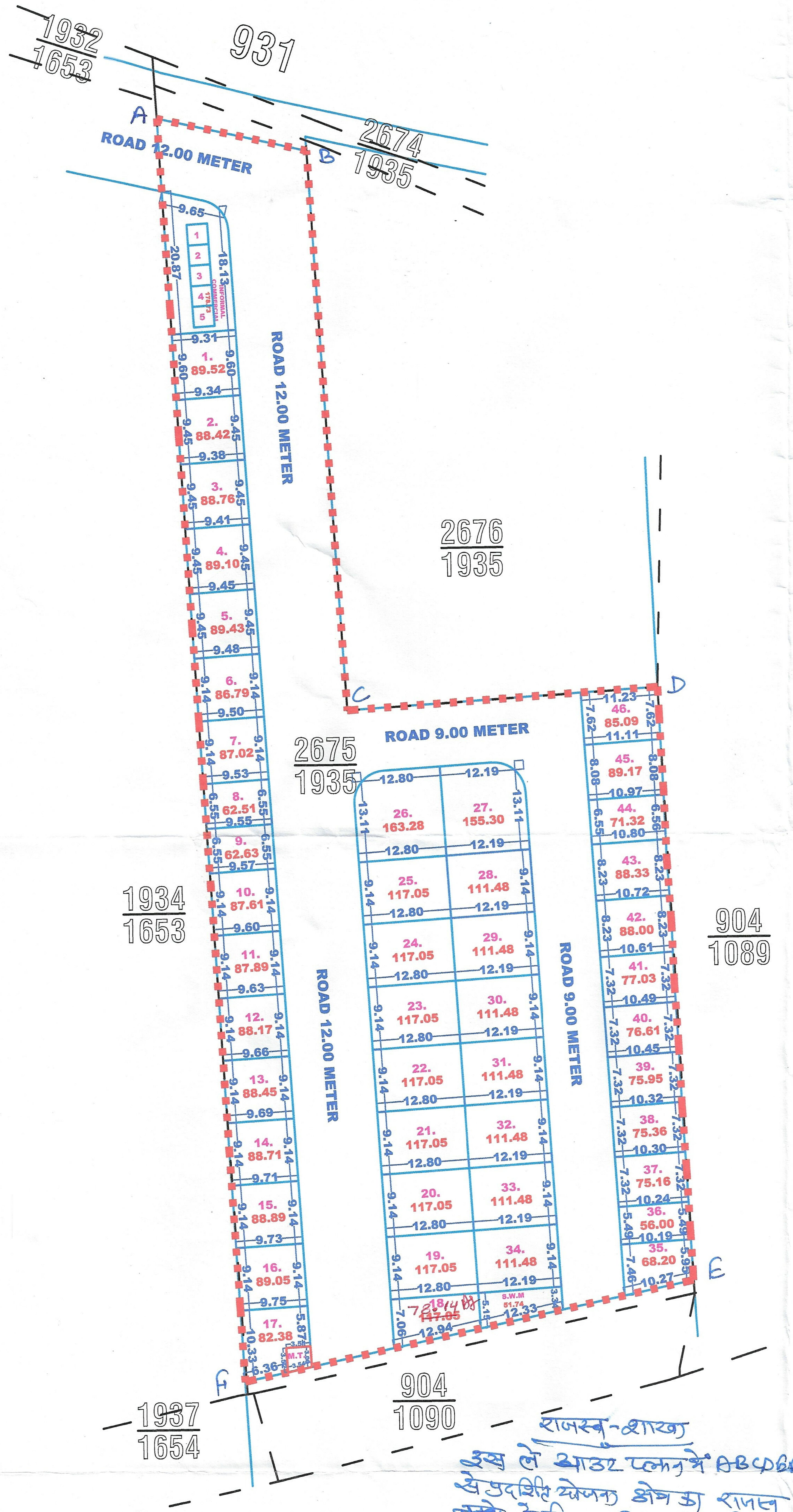


राजस्व-शाखा
उक्त ले आउट प्लान में ABCDEFA से उदवित योजना क्षेत्र का राजस्व नक्शे से मिलान किया गया जो लगभग अनुरूप है
[illegible]
21/07/2025
Ji Rait

## URBAN IMPROVEMENT TRUST SIKAR

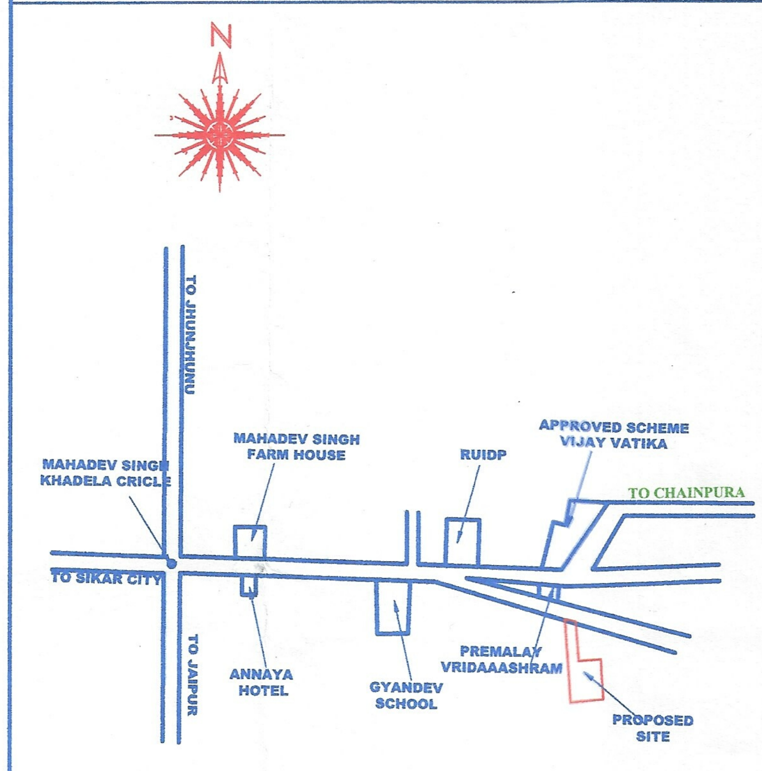


**KEY-PLAN**
**Not To Scale**

AREA ANALYSIS

| S.N. | LAND USE | AREA (sq.mtr.) | % |
|---|---|---|---|
| 1. | RESIDENTIAL | 4367.98 | 55.10% |
| 2. | INFORMAL COMMERCIAL | 0178.73 | 02.25% |
| 3. | MOBILE TOWER | 0011.43 | 00.15% |
| 4. | S.W.M | 0051.74 | 00.65 % |
| 5. | ROAD | 3318.12 | 41.85 % |
| | TOTAL | 7928.00 | 100.00 % |

SCHEME PLOTS DETAIL

| | PARTICULARS | NO. |
|---|---|---|
| 1. | RESIDENTIAL PLOT'S | 46 |
| 2. | INFORMAL COMMERCIAL | 5 |
| 3. | MOBILE TOWER | 1 |
| 4. | S.W.M | 1 |

| | |
|---|---|
| - - - - - - - - | SCHEME BOUNDARY |
| - - - - - - - - | KHASRA LINE |
| ———— | PLOT BOUNDARY |

NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN METER

SCALE-1 C.M. =6.0 MTR

GOOGLE MAP

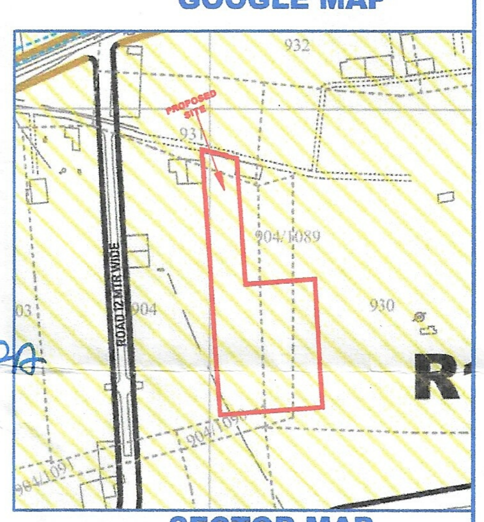

SECTOR MAP

योजना का नाम ..................................................का ले–आउट
आज दिनांक ..........................को लेआउट प्लान कमेटी
द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

**TOTAL AREA IN K.H. NO.- 2675/1935 = 7928.00SQ.MTR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21/07/25<br>उप नगर नियोजक<br>नगर सुधार न्यास<br>सीकर | 21/07/25<br>अधिशाषी अभियन्ता<br>नगर विकास न्यास<br>सीकर | 21.7.2025<br>सचिव<br>नगर विकास न्यास, सीकर | |